



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

सं.अ.सं./क्रमांक/५५७/2025

दिनांक 17/07/2025
18

सूचना

विश्वविद्यालय की संबद्ध अध्ययन संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि नवीनीकरण शुल्क जमा करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रथमतः दिनांक 30 जून 2025 तक एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल खोला गया था, परंतु कुछ संस्थाओं के निवेदन पर पुनः एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल दिनांक 14 जुलाई 2025 तक खोला गया था। इसके उपरांत भी कुछ संस्थाओं द्वारा नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं कराया गया है।

अतः जिन संस्थाओं ने सत्र 2025-2026 का नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं किया है वे समस्त संस्थाएँ विलम्ब शुल्क राशि 1000/- के साथ दिनांक 31 जुलाई 2025 तक जी.एस.टी. सहित जमा करना सुनिश्चित करें। इसके बाद तिथि में वृद्धि नहीं की जावेगी।

संस्थाओं का नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं करने की स्थिति में संबंधित संस्था के विरुद्ध विश्वविद्यालय विनियम क्रमांक 18/2008 के अंतर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी।

(डॉ. आशीष जोशी)

निदेशक

(संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ)

सं.अ.सं./क्रमांक/५५८/2025

दिनांक 18/07/2025

प्रतिलिपि :

1. निज सचिव कुलगुरु, कुलसचिव की ओर सूचनार्थ।
2. वेब मास्टर, विश्वविद्यालय की ओर वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।
3. प्रबंधक, एम.पी. ऑनलाईन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ. आशीष जोशी)

निदेशक

(संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ)